

# कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमांक:नपाश्रीमा / 2021-22 / 3760

दिनांक: 06/01/2022


## एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 06.01.2022 को प्रातः 10.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 04(चार) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही :-

- |  |                  |                        |          |
|--|------------------|------------------------|----------|
| 1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर            | (हरिनारायण)      | (अध्यक्ष)              | उपस्थित। |
| 2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर    | (रजत जैन)        | (सदस्य सचिव)           | उपस्थित। |
| 3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर | (मो. अजहर जादू)  | (सदस्य)                | उपस्थित। |
| 4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर    | (लोकेश नितारवाल) | (सदस्य)                | उपस्थित। |
| 5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर       | (रक्षपाल स्वामी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |
| 6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर       | (निश्चल बनर्जी)  | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

1. श्री मुरारी लाल, श्री गिरधारी लाल पुत्रगण श्री चिरंजीलाल एवं श्री लोकोश शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मुरारीलाल, श्री गिरधारीलाल पुत्रगण श्री चिरंजीलाल एवं श्री लोकोश शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 16.11.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 03.12.2021 को मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मारुटर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वाभित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 133.96 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया



गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री मुरारीलाल, श्री गिरधारीलाल पुत्रगण श्री चिरंजीलाल एवं श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री नथूलाल से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 133.96 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. श्री अरविन्द कुमार जाखड़ पुत्र श्री भगवान सहाय स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय:- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार जाखड़ पुत्र श्री भगवान सहाय द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आगे व्यावसायिक एवं पीछे आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 557 गैरमुम्किन आबादी में दर्ज है, आवेदित भूमि अकृषि भूमि है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सीटी सर्वे रिकार्ड अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व एवं का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 572.03 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री अरविन्द कुमार जाखड़ पुत्र श्री भगवान सहाय द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 572.03 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्नरेण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 506, 490 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.5500 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "कमल नगर " योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले-आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की

आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 506, 490 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.5500 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर-कृषिक प्रयोजनो के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारो और हित को पर्यवसिन कर राज्य सरकार में समस्त विलंगमो से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप-(12) में सम्बन्धित खातेदारो को नोटिस एवं प्रारूप-(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशिकत की गई एवं प्रारूप-(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर-कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिद्युति अधिकारो को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में/पत्रघात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक राजस्व/21/2391 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप-(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नहीं है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नहीं है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3334-36 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा प्रारूप-(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारो को सूचनार्थ प्रेषित की गई। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3337 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/308/श्रीमाधोपुर/2021/1241 दिनांक 21.12.2021 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ कमल नगर योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले-आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा खसरा संख्या 506, 490 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.5500 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "कमल नगर" योजना का ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. **प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :-** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाते हुए एवं वार्डवार्डज टीम गठित कर घर-घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के


संग अभियान के दौरान वार्डवार्डज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवार्डज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन, पुर्नगठन, ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 325 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 150 पट्टे जारी किये जा चुके हैं तथा शेष प्रकरणों को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपरिथत सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरुक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

  
6/11/22





  
06/01/2022

(हरिनारायण)  
अध्यक्ष  
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(रजत जैन)  
अधिकाारी  
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(मो. अजहर जाट)  
उप / सिनिअर अडिअर  
नगर नियोजन विभाग, सीकर

  
(रक्षपाल स्वामी)  
विधि सलाहकार  
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

(निश्चल बनर्जी)  
नेखा प्रभासी  
नगरपालिका श्रीमाधोपुर